

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 79]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 4, 1976/फाल्गुन 14, 1897

No. 79]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 4, 1976/PHALGUNA 14, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION

(Department of Agriculture)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th March 1976

GSR 110(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Fertiliser (Control) Order, 1957, namely :—

1. (1) This Order may be called the Fertiliser (Control) 3rd (Amendment) Order, 1976.
- (2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In Schedule I to the Fertiliser (Control) Order, 1957, under the heading the “A. Specifications of Fertilisers”, after item 42, and the entries relating thereto, the following item and entries shall be inserted, namely:—

Name of fertiliser	Specifications	
“43. Ammonium Phosphate Sulphate Nitrate (20-20-0)	(1) Moisture per cent by weight maximum	1.5
	(2) Total nitrogen per cent by weight minimum	20.0
	(3) Ammonical Nitrogen per cent by weight minimum	17.0
	(4) Nitrate nitrogen per cent by weight maximum	3.0

Name of fertiliser	Specifications
(5) Phosphate (as P_2O_5) soluble in neutral ammonium citrate solution per cent by weight minimum	20.0
(6) Water soluble phosphate (as P_2O_5) per cent by weight minimum	17.0
(7) <i>Particle size</i> : The particle size of the material shall be such that 90 per cent of the material shall pass through 4 mm IS sieve and shall be retained on 7 mm IS sieve and not more than 5 per cent shall be below 1 mm IS sieve.	

[No. 10-36/75-S.T.U.]

ANNA R. MALHOTRA, Joint Secy.

कृषि और सिंचाई मंत्रालय**(कृषि विभाग)****अधिसूचना**

नई दिल्ली, 4 मार्च, 1976

सा० का० मि० 110 (अ).—केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1957 में और संशोधन करने के लिए, निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :—

1. (1) इस आदेश का नाम उर्वरक (नियंत्रण) तृतीय (संशोधन) आदेश, 1976 है।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1957 की अनुसूची में, "क. उर्वरकों के विनिर्देश" शीर्षक के नीचे, मद 42 और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित मद और प्रविष्टियाँ अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

उर्वरक का नाम	विनिर्देश
"43. एमोनियम फास्फेट सल्फेट (1) भार के अनुसार आर्द्रता प्रतिशत नाइट्रेंट (20-20-0) अधिकतम	1.5
(2) भार के अनुसार कुल नाइट्रोजन प्रतिशत न्यूनतम	20.0
(3) भार के अनुसार एमोनियकल नाइट्रोजन प्रतिशत, न्यूनतम	17.0

उर्वरक का नाम

विनिर्देश

- | | |
|---|------|
| (4) भार के अनुसार नाइट्रेट नाइट्रोजन प्रतिशत, अधिकतम | 3.0 |
| (5) भार के अनुसार न्यूट्रल एमोनियम साइट्रेट बोल में विलेय फास्फेट (पी ₂ ओ ₅) | 20.0 |
| (6) भार के अनुसार जल विलेय फास्फेट (पी ₂ ओ ₅) प्रतिशत, न्यूनतम | 17.0 |
| (7) कण परिमाण : सामग्री का कण परिमाण ऐसा होगा कि सामग्री का 90 प्रतिशत 4 मि० मी० आई एस सोब से होकर जा सके और 1 मि० मी० आई एस सोब पर प्रति-धारित रह सके, और 5 प्रतिशत से अनधिक 1 मि० मी० आई एस सोब से कम होगा” । | |

[सं० 10-36/75-एस०टी०यू०]

अन्ना आर० मल्होत्रा, संयुक्त सचिव ।

